क्रमांक/मा.चि.1 / 1482 बालाघाट, दिनांक 19/

प्रति,

मेसर्स धरमसी मोरारजी
केमिकल्स कम्पनी लिमि. मुम्बई (महॉराष्ट्र)
वर्तमान पता – सी–1 फार्चुन डीलाईट
आर्दश नगर, होशंगाबाद रोड़ भोपाल (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले के उत्तर (सा.) वनमण्डल के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर क्षेत्रांतर्गत वनकक्ष में रकबा 40.468 हैक्टेयर वनक्षेत्र पर बाक्साईड खनिज उत्खनन हेतु वन (संरक्षण) अधि तहत वनभूमि व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव।

संदर्भ :– कार्यालयीन पत्र पृष्ठां. क्र./मा.चि. 1329 दिनांक 27.04.2017, क्र. 1551 दिनांक 12.05.20 दिनांक 12.05.2017 एवं क्र. 1588 दिनांक 16.05.2017

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रकरण में व्यपवर्तित वनभूमि के बदले प्रस्तावित गै डोरली एवं खुरसीटोला का संयुक्त स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 06.05.2017 मेरे द्वारा नियत की नियत दिनांक को मौके पर राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित नहीं थे, मात्र आप में स्थल का सत्यापन किया गया, जिसमें कई स्थानों पर सीमा चिन्ह स्पष्ट नहीं होने के कारण आपको मै निर्देशित किया गया था कि दिनांक 07.05.2017 एवं 08.05.2017 को संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी की उपस्थि विभाग के साथ संयुक्त सीमांकन कार्यवाही पूर्ण कर सीमा चिन्ह स्थापित करते हुये जांच प्रतिवेदन उचि भेजना सुनिश्चित करें। किन्तु आज दिनांक तक संयुक्त जांच प्रतिवेदन आपके एवं परिक्षेत्र स्तर से अपेक्षित अतएव उक्त प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि एवं व्यपवर्तित वनभूमि के बदले वैकल्पिक प्रस्तावित गैरवनभूमि का संयुक्त सीमांकन कार्य पूर्ण कर लिया गया हो तो तत्काल उचित माध्यम से भे कार्यालय को सूचित करें। ताकि प्रकरण में आनलाईन प्रविष्ठि की कार्यवाही पूर्ण की जा सकें।

18/5

वनमण्डलाधिक
उत्तर वनमण्डल (सा.)

पृष्ठा.क्र./मा.चि.1 / **बालाघाट, दिनांक /**

प्रतिलिपि :–

1. उप वनमण्डलाधिकारी, बैहर एवं उकवा (सा.) उपवनमण्डल
2. वन परिक्षेत्र अधिकारी, पश्चिम बैहर एवं उत्तर लामाता (सा.)
   की ओर कार्यालय पत्र क्रमांक/मा.चि./1328 दिनांक 27.04.2017, क्र. 1550 दिनांक 12.05.201 दिनांक 12.05.2017, क्र. 1587 दिनांक 16.05.2017 के सदंर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही उक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें समय सीमा के अंदर जानकारी चाही गई थी जो दिनांक तक अपेक्षित है, जो कि अत्यंत खेदजनक है, आपकी जानकारी के अभाव में प्रकरण प्रविष्टि किये जाने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। अतएव प्रकरण के महत्व को ध्यान में रखते जानकारी अतिशीघ्र स्वयं रूचि लेते हुये आप स्वयं दिनांक 22.05.2017 को अनिवार्य रूप से मेरे करें। ताकि समयसीमा के अंदर आनलाईन प्रविष्टि की कार्यवाही पूर्ण की जा सकें। अन्यथा प्र वाले विलंब की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर वनमण्डल (सा.)

D:\Sharad\2015\letter\Genral Letter.doc258